Om Kumar Singh
Assistant Professor,
Dept. of Political Science,
D.B. College Jaynagar, Madhubani,
(A Constituent Unit of L.N.M.U. Darbhanga)

दिनांक: 18/07/2020

स्नातक (प्रतिष्ठा) द्वितीय खण्ड

तृतीय पत्र (भारतीय शासन एवं राजनीति)

अध्याय-4 (मूल अधिकार और मूल कर्तव्य)

व्याख्यान संख्या: 16 (कुल 55)

भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार:-

भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12-35 तक इनका उल्लेख है। इस भाग-3 को भारत का ' मैग्नाकार्टा' की संज्ञा दी जाती है।

मूल संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को सात मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किन्तु 44वें संविधान संशोधन, 1978 के द्वारा सम्पत्ति के मूल अधिकार को[अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31)] इस श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300क में शामिल कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या छह(6) हैं, जो निम्नलिखित हैं--

(1) समानता का अधिकार(अनुच्छेद 14 से 18);

(2) स्वतंत्रता का अधिकार(अनुच्छेद 19 से 22);

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार(अनुच्छेद 23 से 24);

(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार(अनुच्छेद 25 से 28);

(5)संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार(अनुच्छेद 29 से 30);

और

Scanned with CamScanner

Om Kumar Singh
Assistant Professor,
Dept. of Political Science,
D.B. College Jaynagar, Madhubani,
(A Constituent Unit of L.N.M.U. Darbhanga)

---

(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32 से 35)।

मूल अधिकारों से सम्बंधित अनुच्छेदों की व्याख्या--

(क) अनुच्छेद 12--

इसके अन्तर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है।

(ख) अनुच्छेद 13--

इसमें मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ दी गई है।

(ग) अनुच्छेद 14--

इसके अन्तर्गत विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। वाक्य' कानून के समक्ष समानता' ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है और इसके द्वारा राज्य पर बंधन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक-सा कानून बनाएगा और उन्हें एकसमान लागू करेगा। सर आइवर जेनिंग्ज के अनुसार इसका अर्थ यह है कि ' समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का समान व्यवहार होना चाहिए।' वाक्य' कानून का समान संरक्षण' अमरीकी संविधान से लिया गया है और इसका अर्थ यह है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है।

(घ) अनुच्छेद 15--

इसके अन्तर्गत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों के साथ राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, प्रावधानित है।

Scanned with CamScanner

Om Kumar Singh
Assistant Professor,
Dept. of Political Science,
D.B. College Jaynagar, Madhubani,
(A Constituent Unit of L.N.M.U. Darbhanga)

(ड़) अनुच्छेद16--

लोक नियोजन के विशेष में नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की गई है।

(च) अनुच्छेद 17--

इसमें किसी भी प्रकार के अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। इसी सन्दर्भ में 1955 ई में 'अस्पृश्यता अपराध अधिनियम' के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया।

(छ) अनुच्छेद 18--

उपाधियों का अंत की व्यवस्था की गई है।

(ज) अनुच्छेद 19--

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना अस्त्र-शस्त्र के शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत राज्य के क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, आवास की स्वतंत्रता और वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अर्थात् इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है।

(झ) अनुच्छेद 20--

अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण की व्यवस्था है।

(ञ) अनुच्छेद 21--

प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अर्थात् इसमें जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने 1997 में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि ' जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार सम्मिलित है।'

(ट)अनुच्छेद 21क--

इसे 86वाँ संविधान संशोधन, 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके

Scanned with CamScanner

Om Kumar Singh
Assistant Professor,
Dept. of Political Science,
D.B. College Jaynagar, Madhubani,
(A Constituent Unit of L.N.M.U. Darbhanga)

अन्तर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अर्थात् इसके माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था की गई ।

(ठ) अनुच्छेद 22--

इसमें बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बताए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बन्दीगृह में नहीं रखा जा सकता। उसे वकील रखने, उससे परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा तथा बन्दी बनाए जाने के बाद 24 घण्टे के अन्दर-अन्दर(बंदीगृह से न्यायालय तक ले जाने का समय शामिल नहीं है) उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाना अनिवार्य होगा। इसमें जो अधिकार दिए गए वह दो तरह के अपराधियों पर लागू नहीं होते हैं, एक, शत्रु देश के निवासियों पर एवं दूसरा, निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों पर।

(ड) अनुच्छेद 23--

मानव के बलात् श्रम, बेगार एवं उसके क्रय-विक्रय पर रोक लगाया गया है।

(ढ) अनुच्छेद 24--

कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(ण) अनुच्छेद 25--

अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है।

(त) अनुच्छेद 26--

Scanned with CamScanner

Om Kumar Singh
Assistant Professor,
Dept. of Political Science,
D.B. College Jaynagar, Madhubani,
(A Constituent Unit of L.N.M.U. Darbhanga)

धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है।

(थ) अनुच्छेद 27--

किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों संदाय के बारे में स्वतंत्रता का प्रावधान है।

(द) अनुच्छेद 28--

कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है।

(ध) अनुच्छेद 29-30-

अल्पसंख्यक समुदाय को सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बंधी अधिकार।

(न) अनुच्छेद 32--

संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

(प) अनुच्छेद 33-35--

मूल अधिकारों से सम्बंधित अन्य प्रावधान किया गया है।

Scanned with CamScanner